रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-10072024-255311 CG-DL-E-10072024-255311

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2560]

No. 2560]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 10, 2024/आषाढ 19, 1946 NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 10, 2024/ASHADHA 19, 1946

श्रम और रोजगार मंत्रालाय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2024

का.आ. 2696(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 अगस्त, 2024 को, उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिस को उक्त अधिनियम के धारा 38 से धारा 43(दोनों सिम्मिलित), धारा 45क, धारा 45क, धारा 45ख, धारा 45ग, धारा 45घ, धारा 45घ, धारा 45च, धारा 45छ, धारा 45ज, धारा 45इ, धारा 46 से धारा 73(दोनों सिम्मिलित), धारा 74 और धारा 75, धारा 76 की उपधारा (2) से उपधारा (4), धारा 82 और धारा 83 के उपबंध मिणपुर राज्य के बिष्णुपुर, सेनापित, उखरुल, कंगपोकपी, चूराचांदपुर एवं थोउबल जिलों के सभी क्षेत्रों में प्रवृत होंगें।

[फा. सं. एस-38013/11/2023-एसएस-I] रूपेश कुमार ठाकूर, संयुक्त सचिव

4131 GI/2024 (1)

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2024

S.O. 2696(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the **1st day of August, 2024,** as the date on which the provisions of sections 38 to 43 (both inclusive), sections 45A, 45AA, 45B, 45C, 45D, 45E, 45F, 45G, 45H and 45I, sections 46 to 73(both inclusive), section 74 and section 75, sub-section (2) to (4) of section 76, section 82 and section 83 of the said Act shall come into force in all the areas of Bishnupur, Senapati, Ukhrul, Kangpokpi, Churachandpur and Thoubal districts in the State of Manipur.

[F. No. S-38013/11/2023-SS-I] RUPESH KUMAR THAKUR, Jt. Secy.